

सं०सं०-बि०वि०मि०/अधि०(वाहन निविदा)-12/2018

बिहार सरकार

**बिहार विकास मिशन**

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,  
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023


## **अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**

(निविदा सं०- वाहन-01/2018)

बिहार विकास मिशन, पटना के कार्यालय में सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु भाड़े की वातानुकूलित वाहन (स्वीफ्ट डिजायर/इंडिगो/जाएलो/स्कोर्पियो/ईनोवा/सफारी) की आवश्यकता मासिक/दैनिक किराया दर पर है। इस हेतु इच्छुक निबंधित ट्रेवेल्स एजेन्सियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुहरबंद निविदा आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना एवं विहित प्रपत्र दिनांक 11.09.2018 से 26.09.2018 तक कार्यालय अवधि में बिहार विकास मिशन, पटना के राजवंशी नगर स्थित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. एक मुहरबंद लिफाफा के अन्दर दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे ( तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड लिफाफा) होंगे।
3. तकनीकी बीड के लिफाफा में फर्म का वाणिज्यिक निबंधन/GST निबंधन/PAN Card तथा विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ कम से कम 13 (तेरह) वाहनों का वाणिज्यिक निबंधन संख्या, रोड टैक्स, वाहन का बीमा, वाहन का फिटनेस एवं चालक का वाणिज्यिक लाइसेंस आदि से संबंधित कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं कोटेशन आमंत्रण सूचना की हस्ताक्षरित प्रति रख कर मुहरबंद करना होगा। वित्तीय बीड लिफाफा में दर अंकित करने हेतु प्रपत्र होगा, जिसमें वांछित प्रविष्टि के साथ निविदादाता का हस्ताक्षर रहेगा। वित्तीय बीड लिफाफा को भी मुहरबंद करना होगा।
4. निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि न्यायालय में उनपर न कोई वाद लंबित है और न ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत उसे दंडित किया गया है तथा उन्हें काली सूची में भी दर्ज नहीं किया गया है।
5. कोटेशन आमंत्रण सूचना एवं इसके साथ संलग्न वित्तीय निविदा दर अंकित करने हेतु प्रपत्र [www.csd.bih.nic.in](http://www.csd.bih.nic.in), [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) एवं बिहार विकास मिशन के वेबसाइट [www.bvm.bihar.gov.in](http://www.bvm.bihar.gov.in) से download किया जा सकता है। Earnest Money के रूप में 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये मात्र का Demand Draft किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का, जो BIHAR VIKAS MISSION, पटना के पक्ष में देय हो, जमा करना होगा। बिना Earnest Money के कोई भी निविदा तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मूल्यांकन के लिए योग्य नहीं होगा।
6. निविदा दिनांक 27.09.2018 के अपराहन 03.00 बजे तक निबंधित डाक से अथवा स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में डिमान्ड ड्राफ्ट सहित कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
7. प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा को दिनांक 27.09.2018 को 5:00 बजे अपराहन में बिहार विकास मिशन, पटना के कार्यालय में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष खोलते हुए इसका मूल्यांकन किया जाएगा। निविदादाता से अनुरोध है कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलते समय उपस्थित रहें। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
8. सफल न्यूनतम कोटेशन दाता को कार्यदेश निर्गत के पश्चात् अन्य निविदादाताओं का Earnest Money वापस कर दिए जाएंगे।
9. वाहन का निबंधन व्यावसायिक होना चाहिए तथा वाहन का बीमा, विविध करों का भुगतान तथा विविध प्रकार के Clearance के कागजात अद्यतन होने चाहिए।

10. वाहन की आयु कोटेशन प्राप्ति की तिथि को तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. चयनित एजेन्सी को निर्धारित मासिक/दैनिक किराया के अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क देय नहीं होगा। मासिक किराये की राशि से नियमानुसार सभी प्रकार के करों यथा आयकर (TDS) आदि की कटौती की जाएगी।
12. वाहन की सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदेही वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।
13. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जवाबदेही कार्यालय की नहीं होगी।
14. भाड़े पर दिया जाना वाले वाहन 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन, खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे और इसकी सूचना कार्यालय तथा संबंधित पदाधिकारी को अविलम्ब अचूक रूप से देंगे।
15. आवश्यकता पड़ने पर वाहन की सेवा क्षेत्र भ्रमण (विभिन्न जिलों में) हेतु भी ली जायेगी जिसके लिये किसी भी तरह के Halt(Night Halt इत्यादि) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. माह में किसी दिन ससमय वाहन नहीं उपलब्ध कराए जाने पर उस दिन का समानुपातिक भाड़ा की कटौती कर ली जाएगी तथा 500/- (पांच सौ) रु0 प्रतिदिन की दर से Penalty की वसूली मासिक किराए से की जाएगी।
17. गाड़ी की सेवा अनुमोदित दर पर एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा सेवा संतोष-जनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से अगले एक वर्ष के लिए नवीकृत भी किया जा सकता है।
18. वाहन के प्रकार के चुनाव का अधिकार तथा बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का अधिकार/निविदा प्राप्ति की तिथि विस्तारित करने का अधिकार मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सुरक्षित होगा।
19. विशेष जानकारी के लिए बिहार विकास मिशन के सदस्य सचिव कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
20. कार्यदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर चयनित वाहन, चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा।
21. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भाड़े का भुगतान किया जाएगा। भुगतान में विलम्ब की स्थिति में कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।
22. दर अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र वाहन के प्रकार के साथ संलग्न है।
23. निविदा के अंतिम दिन अवकाश घोषित होने पर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अगला कार्य दिवस होगा।
24. सफल निविदाकर्ता को कार्यालय के साथ एकरारनामा करना होगा तथा उक्त हेतु आवश्यक Non-Judicial Stamp की आपूर्ति चयनित निविदाकर्ता को करनी होगी।



मुख्य महाप्रबंधक  
बिहार विकास मिशन

